


विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2010-11



कार्यालय आयुक्त
स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर
(छ.ग.)

विभागाध्यक्ष – श्री आर.के. सिन्हा

कार्यालय आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न निगमित एवं अनिगमित निकायों के एवं स्वायत्तशासी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं को अंकेक्षण विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के नियम/ अधिनियम एवं उपविधियों तथा क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है। विभाग के प्रतिवेदन में निकाय के आर्थिक व्यवस्था तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अनियमितताओं के साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण आपत्तियों का यथा संभव समावेश किया जाता है।

शासन के पत्र क्रमांक/एफ-1-ए-1/2002/स्था/चार रायपुर, दिनांक 26.04.08 द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थापित की गई है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (31 दिसंबर 2010 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक व्यवस्था एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व की आपत्तियों का भी यथा संभव उल्लेख संबंधित संस्थाओं/ निकायों के वर्ष विशेष के संपरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर विशेषतः निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।

2. विभाग का प्रशासकीय ढांचा –

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में स्थापित हैं। संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 356 पदों का सृजन किया गया है। संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नानुसार पद आबंटित किया गया है :-

क्र	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया	36
कुल पद संख्या		356

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2010 की स्थिति में कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	
3	संयुक्त संचालक	02	01	01	
4	उप संचालक	07	05	02	
5	सहायक संचालक	24	18	06	
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	61	17	01 प्रतिनियुक्ति से कार्यरत 16 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	--
8	अधीक्षक	01	01	0	--
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	--
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	--
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत।
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	--
13	सहायक संपरीक्षक	155	102	53	
14	लेखापाल	01	01	0	--
15	सहायक ग्रेड 2	13	11	02	--
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	02	05	--
17	सहायक ग्रेड 3	21	16	05	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	--
19	वाहन चालक	01+04	01+04	0	1. 04 पद संविदा पर कार्यरत है।
20	भृत्य	22	18	04	--
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	01 चौकीदार म.प्र. के समय से कार्यभारित आकस्मिकता एवं 06 चौकीदार आकस्मिकता (कलेक्टर दर) पर कार्यरत
योग		356	259	97	--

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 10542 संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा विभाग द्वारा संपन्न की जाती है जिनमें राज्य की 9820 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। शासन द्वारा समय-समय पर शासनहित में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से नवीन नगर पंचायतों का गठन एवं नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी/वृद्धि संभावित होने से निकायों की संख्या में वृद्धि संभावित है। विभाग के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य के समस्त निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2009-10 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/09 को अवशेष	2009-10 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2009-10 में संपादित कार्य	31/03/2010 को अवशेष
203479	62484	265963	36557	229406

ब वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/2010 को अवशेष	2010-11 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2010-11 में संपादित कार्य (31.12.2010 तक)	31/12/2010 को अवशेष
229457	72352	301809	19910	281899

- टीप:- 1. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जनकार्य दिवस में संशोधन के कारण दिनांक 01.04.09 के प्रारंभिक अवशेष में वृद्धि दृष्टिगत है।
2. नगरीय निकाय यथा नगर निगम/विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण स्थगित करने के कारण इन निकायों के लिए निर्धारित मानव दिवस में दो गुनी वृद्धि दृष्टिगत है तथा भविष्य में लंबित अंकेक्षण मानव दिवस की उत्तरोत्तर वृद्धि संभावित है।

4. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2009-10 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ में
1	अप्रैल 08 को प्रारंभिक शेष	12.44
2	1/4/2009 से 31/3/2010 तक मांग	02.00
3	कुल मांग मार्च 2010 तक	04.44
4	कुल वसूली मार्च 2010 तक	0.58
5	दिनांक 31.3.2010 को अवशेष	13.86

ब. 2010-11 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ में
1	1/4/2010 को प्रारंभिक शेष	14.11
2	वर्ष 2010-11 की मांग माह दिसंबर 2010 की स्थिति में	01.23
3	कुल मांग दिसंबर 2010 की स्थिति में	15.35
4	कुल वसूली दिसंबर 2010 की स्थिति में	0.37
5	दिनांक 31.12.2010 को अवशेष	14.97

टीप:- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क में संशोधन के कारण दिनांक 01.04.2010 के प्रारंभिक अवशेष में अधिक तथा राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से संपरीक्षा शुल्क वसूली संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष राशि अधिक दृष्टिगत है।

5. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वर्ष 2009-10 में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

1/4/09 को प्रसारण हेतु प्रति	2009-10 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2009-10 में प्रसारित प्रतिवेदन	31/03/2010 को अवशेष
213	1023	1236	976	260

ब वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

1/4/2010 को अवशेष	2010-11 (माह दिसंबर 2010) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2010-11 में (माह दिसंबर 2009) प्रसारित प्रतिवेदन	31/12/2011 को अवशेष
265	451	716	606	110

टीप - क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संशोधन से प्रारंभिक अवशेष में अंतर है।

6. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं माह दिसम्बर 2010 की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :-

अ वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में :-

अर्थ	वर्ष प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या
2009-10	177260	15770	193030	854	192176

ब वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि
2010-11	192136	10910	203046	1204	201842	13359454727

टीप:- राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से आपत्ति निराकरण संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष आपत्ति अधिक दृष्टिगत है।

7. स्थानीय निकायों के आय-व्यय -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :-

अ वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में :-

आय - 37668772426.00

व्यय - 33423703497.00

ब. वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिसंबर 2010) की स्थिति में

आय - 29480037956.00

व्यय - 18453553826.00

अंकेक्षण के समय एवं प्रतिवेदनों में लगातार आपत्ति लिये जाने के बाद भी अधिकांश स्थानीय संस्थाओं में यथा समय आय-व्यय पत्रक तैयार करने एवं सक्षम स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने के प्रति अपेक्षित अभिरूचि का अभाव दृष्टिगत हुआ। साथ ही संतुलित बजट तैयार नहीं किये जाने की प्रवृत्ति यथावत बनी हुई है। बजट प्रावधानों से अधिक व्यय सामान्यतः पाया गया। बजट पुनर्विनियोजन करके नियमित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया जाना परिलक्षित हुआ।

8. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों में अवहेलना तथा स्थानीय निधि के उचित समय में शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.2010 तक प्रकरणों की संख्या	31.12.2010 को वसूली हेतु अवशेष राशि
1785	05,09,34,083.00

अंकक्षण प्रतिवेदन वर्ष में प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	निकाय का नाम	वर्ष	विवरण	राशि
1	नगर पंचायत नवागढ़	2008-09	नगर पंचायत निधि से दुर्विनियोग	339073.00
2	जनपद पंचायत मनोरा जिला जशपुर	2005-06 से 07-08	कडिका क्रमांक 11- अंशदायी भविष्य निधि की राशि संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा दर्शित कर जमा के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध न कराना	15560.00
3	जनपद पंचायत बगीचा जिला जशपुर	2005-06 से 09-10	कडिका क्रमांक 14- ग्राम पंचायतों से वसूल की गई राशि जनपद निधि में जमा न किया जाना।	456060.00
4	ग्राम पंचायत ढोढीडांड जनपद पंचायत कुनकुरी जिला जशपुर	2003-04 से 06-07	कडिका क्रमांक 12- रोकड़ बही में राशि कम दर्ज कर प्रभक्षण	134625.00
5	ग्राम पंचायत रोबा, जनपद पंचायत फिंगेश्वर, जिला रायपुर	2003-04 से 2009-10	कडिका क्रमांक 09, 10- वसूली की राशि जमा नहीं किया जाना	40750.00
6	नगर पंचायत अंतागढ़	2008-09 से 2009-10	कडिका क्रमांक 7,9,10- रसीद पुस्तकों का दुरुपयोजन कर संभावित प्रभक्षण	594101.00
7	ग्राम पंचायत बोरगांव,	2003-04 से 2009-10	कडिका क्रमांक 06- आहरित राशि कैश बुक में प्रविष्टि का अभाव	34875.00
8	ग्राम पंचायत नंदेली जनपद पंचायत पामगढ़	2008-09	प्रमाणक के अभाव में संभावित प्रभक्षण	251000.00
9	नगर पंचायत गुण्डरदेही जिला दुर्ग	2005-06 से 2008-09	कडिका क्रं. 06,07- वसूली राशि जमा न कर संभावित प्रभक्षण	103038.00

9. अधिभार :-

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रु.	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रु.
1	अधिभार आरोप पत्र	41	58,36,686.00	--	41	58,36,686.00
2	अधिभार सूचना	09	05,12,288.00	--	09	05,12,288.00
3	अधिभार आदेश	24	08,28,738.00	--	24	08,28,738.00
4	मांग प्रमाण पत्र	41	09,62,726.00	--	41	09,62,726.00

ब. वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिनांक 01.04.09 से 31.12.2010) की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रु.	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रु.
1	अधिभार आरोप पत्र	01	63,500.00	--	01	63,500.00
2	अधिभार सूचना	01	33,600.00	--	01	33,600.00
3	अधिभार आदेश	--	--	--	--	--
4	मांग प्रमाण पत्र	--	--	--	--	--

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :-

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/ हानि संबंधी अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पंचायत लवन	2008-09	09	मुख्य मंत्री स्वालंबन योजना की दुकान एवं चबुतरा का आबंटन नहीं किए जाने से आर्थिक क्षति	180400.00
2.	कृ.उ.मं.स. राजिम	2007-08 से 2009-10	13	मंडी शुल्क से आय की क्षति	195195.00
3.	जनपद पंचायत अंतागढ़	2002-03 से 2008-09	07	अध्यक्ष वन धन समिति से वापसी योग्य राशि	121500.00
4.	जनपद पंचायत फरसगांव	2004-05 से 2009-10	22	हितग्राहियों से अंशदान की वसूली अपेक्षित	209600.00
5.	जनपद पंचायत बगीचा जिला जशपुर	2002-03 से 2004-05	14	गैस एंजेसी रायगढ़ को भुगतान गैर कनेक्शन की प्राप्ति हितग्राहियों को वितरण व पावती का अभाव	247500.00
6.	ग्राम पंचायत चिखली जनपद पंचायत पुसौर	2006-07 से 2008-09	08	बाजार ठेका का अनुबंध निर्धारित स्टांप शुल्क पर न कराए जाने से आर्थिक क्षति	187838.00
7.	जनपद पंचायत धमधा	2008-09 से 2009-10	-	किसान महोत्सव 2009 आयोजन में राशि की प्रतिपूर्ति अपेक्षित	103000.00
8.	रोगी कल्याण जीवन दीप समिति कोरबा	1996-97 से 2009-10	12	सावधि जमा संयुक्त नाम से जमा किया गया था परिपक्वता अवधि व्यक्तिगत नाम से खाता होने के कारण भुनाया नहीं जा सका जिससे निकाय को मिलने वाले ब्याज की राशि क्षति योग्य	700000.00

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	जनपद पंचायत मगरलोड	2002-03 से 07-08	27	अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	267900.00
2.	नगर पंचायत लवन	2008-09	20	गिरौधपुरी मेला व अभिनंदन विज्ञापन, टेंट हाउस प्रकाशन पर व्यय	173481.00
3.	जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़	2007-08 से 2008-09	19	वाहन किराया का अनियमित भुगतान	158503.00
4.	नगर पंचायत डौंडी लोहारा	2003-04 से 08-09	-	वाहन यात्रा का अनियमित भुगतान	248391.00
5.	नगर पंचायत फरसगांव	2008-09 से 2009-10	17, 18, 19	विज्ञापन, समारोह, शपथ ग्रहण, सम्मेलन पर अनियमित व्यय	335123.00
6.	जनपद पंचायत गीदम	2004-05 से 2008-09	4, 5	नोडल खाते से सीधे व्यय भुगतान तथा सर्वशिक्षा अभियान की राशि अन्य मद में व्यय	7325441.00
7.	नगर पंचायत बस्तर	2009-10	10	चुनाव कार्य पर किए गए व्यय पर प्रतिपूर्ति वांछित	164392.00
8.	जनपद पंचायत पेंड्रा	2002-03 से 2008-09	-	हार्दिक अभिनंदन पर अनियमित व्यय	156320.00
9.	जनपद पंचायत गौरेला	2008-09	-	वाहन किराए पर व्यय	314912.00
10.	नगर पालिका मनेंद्रगढ़	2006-07 से 2008-09	-	पल्स पोलियो अभियान / योग शिविर / जीप किराया / खेल / फर्नीचर में अनियमित व्यय	210089.00

12. स्थापना संबंधी :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	कृ.उ.मं.समिति भोपालपटनम	95-96 से 08-09	11	स्थानान्तरण यात्रा देयक का अनियमित भुगतान	25048.00
2.	नगर पंचायत भखारा	05.09.08 से 09-10	10	पद स्वीकृति के बिना पारिश्रमिक भुगतान अनियमित	887415.00
3.	कृ.उ.मं.समिति अभनपुर	2008-09 से 09-10	22, 23	दैनिक वेतनभोगी नियमितिकरण / अनुकंपा नियुक्ति अनियमित भुगतान	706631.00
4.	कृ.उ.मं.समिति बगीचा	2002-03 से 2006-07	12	निर्धारित सीमा से अधिक स्थापना व्यय	964752.00
5.	जनपद पंचायत छुईखदान	2008-09 से 09-10	-	श्री अनिल सिंह आयुर्वेदिक बैद्य की अनियमित नियुक्ति होने से वेतन भुगतान वसूली योग्य	214847.00
6.	पशुचिकित्सा एवं पशुपालन अंजोरा	2008-09	-	कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्वीकृत वेतनमान का अनियमित भुगतान	11208197.00
7.	जनपद पंचायत खैरागढ़	2005-06 से 2009-10	-	श्री ए.के. गुप्ता सेवा निवृत्त लेखापाल को उपादान की राशि का अनियमित भुगतान	350195.00

13. निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पंचायत लवन	2008-09	30, 31	बाजार चौक से खरतौरा मार्ग तक सीसी रोड निर्माण में दोहरा भुगतान/ गणना त्रुटि से अधिक भुगतान	344827.00
			39	उन्मुक्त खेल मैदान में अक्षेपित अधिक भुगतान	828869.00
2.	नगर पालिका परिषद अकलतरा	2008-09	-	लोक निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय	13891684.00
3.	नगर पालिका परिषद सक्ती	2008-09	-	सीसी रोड निर्माण कार्य में अनियमितता राशि वसूली योग्य	1398304.00
			-	निर्माण कार्य में अनियमित व्यय	20311157.00
4.	नगर पालिका परिषद किरंदुल	2009-10	16	लोहे का दर अधिक दिए जाने से आर्थिक क्षति	3944420.00
5.	नगर पंचायत शिवपुर चरचा	2006-07 से 2009-10	-	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना सीसी रोड निर्माण में अनियमित भुगतान	1641792.00
6.	कृ.उ.मं.समिति कोरबा	1999 से 2008-09	-	पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना अंतिम देयकों का अनियमित भुगतान	9108803.00
7.	नगर पंचायत देवकर	2003-04 से 2009-10	-	स्वीकृत प्राक्कलन एवं नक्शा के अनुसार निर्माण न होने से अपूर्ण कार्य पर अनियमित व्यय	1001620.00
8.	जनपद पंचायत धमधा	2008-09 से 2009-10	-	गली सीमेंटीकरण में मानक प्राक्कलन आईटम राशि से अधिक भुगतान वसूली योग्य	369100.00
9.	नगर पंचायत अहिवारा	2006-07	-	सक्षम स्वीकृति/अनुमान/ तकनीकी स्वीकृति के अभाव में निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान	2235391.00
10.	कृ.उ.मं.समिति राजिम	2007-08 से 2009-10	21	निर्माण कार्य देयकों में गणना त्रुटि से अधिक भुगतान	40379.00

14. कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षित:-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	कृ.उ.मं.समिति बागबाहरा	2008-09 से 2009-10	06	मण्डी शुल्क बकाया	19216268.00
2.	कृ.उ.मं.समिति राजिम	2007-08 से 2009-10	12	मण्डी शुल्क बकाया	23852898.00
3.	कृषि अभियांत्रिकी ईगाकृवि. रायपुर	2008-09	05	कृषि उपकरण उधारी विक्रय वसूली बकाया	2998680.00
4.	नगर पंचायत गीदम	2009-10	04 से 07	संपत्तिकर/दुकार किराया/जलकर/अनुज्ञप्ति शुल्क की बकाया राशि	395464.00
5.	जनपद पंचायत लोहाण्डीगुडा	2002-03 से 2009-10	04	नावधान नीलामी की राशि बकाया	235600.00
6.	कृ.उ.मं.समिति जगदलपुर	2009-10	05 से 07	मण्डीशुल्क/अनुज्ञप्ति शुल्क/गोदाम किराया बकाया राशि	15659885.00
7.	नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़	2003-07 से 2008-09	-	संपत्तिकर/समेकित कर/जलकर/दुकान किराया	9026211.00
8.	नगर पंचायत कोटा	2008-09	-	करों की बकाया वसूली अपेक्षित	1648613.00
9.	कृ.उ.मं.समिति डोंगरगाव	2001-02 से 2009-10	-	मण्डी फीस बकाया वसूली अपेक्षित	8845845.00
10.	नगर पंचायत छुईखदान	2008-09 से 2009-10	-	दुकान नीलामी की वसूली अपेक्षित	5998960.00

1. दायित्व निर्वहन में शिथिलता :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है। जिससे निकायों के दायित्व में सतत वृद्धि होती जा रही है। दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	नगर पंचायत लवन	2008-09	42	आयकर/ वाणिज्यकर जमा का अभाव	566785.00
2.	नगर पंचायत आमदी	09.10.08 से 2009-10	06	आयकर/ वाणिज्यकर जमा का अभाव	148578.00
3.	नगर पंचायत गीदम	2009-10	20, 21	आयकर/ वाणिज्यकर जमा का अभाव	542844.00
4.	नगर पंचायत दंतेवाड़ा	2009-10	13, 15, 18 से 21	आयकर/ वाणिज्यकर/ रायल्टी/लेबर उपकर जमा का अभाव	1355164.00
5.	कृ.उ.मं.समिति भोपालपटनम्	95-96 से 08-09	18	विकास शुल्क जमा हेतु अवशेष	1197338.00
6.	कृ.उ.मं.समिति बीजापुर	95-96 से 08-09	04	विकास शुल्क जमा हेतु अवशेष	2037384.00
7.	नगर पंचायत डौंडी लोहारा	03-04 से 08-09	-	अनुदान आबंटन से अधिक व्यय	6235505.00

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :-

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्रायः प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/ पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा रु 2,500.00 से अधिक रखा जाना पाया गया है। विभाग द्वारा वर्तमान तक 5152 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण संपादित किया गया जिनमें से अर्धवर्ष 2010-11 तक 299 ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व/वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से राशि रु 6,01,94,370.00 स्वयं के पास रखा जाना पाया गया इस प्रकार प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है। इसमें पदाधिकारियों के नाम से विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु लंबे समय से रखे गये अग्रिम की धनराशि भी सम्मिलित है। अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	ग्राम पंचायत सेमरा जनपद पंचायत नगरी	03-04 से 07-08	06	करों की बकाया मांग	195745.00
2	ग्राम पंचायत उलबा जनपद पंचायत अभनपुर	2005-06 से 08-09	06	तालाब लीज बकाया	77080.00
3	ग्राम पंचायत पतौरा, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	03-04 से 08-09	04	अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय	38000.00
4	ग्राम पंचायत बंगोली	05-06 से 09-10	10	बारहवें वित्त आयोग मद से बर्तन एवं खेल सामग्री का अनियमित भुगतान	58500.00
5	ग्राम पंचायत विश्रामपुरी	03-04 से 09-10	05	महिला बीमा की राशि का अनियमित भुगतान	85848.00
6	ग्राम पंचायत बिरनीपाली जनपद पंचायत बरमकेला	2005-06 से 08-09	11	वर्तमान सरपंच द्वारा नगर सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	390330.00
7.	ग्राम पंचायत कमर्जी	03-04 से 05-06	—	वर्तमान सरपंच द्वारा नगर सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	20530821.00
8.	ग्राम पंचायत बहरासी	2003-04	—	इंदिरा आवास योजना मद में कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान	1575924.00
9.	ग्राम पंचायत ननककटी	2004-05 से 2009-10	—	अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित भुगतान	35500.00

17. राजस्व मांग वसूली :-

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2010-11 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली संतोषजनक नहीं पायी गयी। विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2009-10 में रु. 330032045.00 तथा वर्ष 2010-11 में रु. 187194224.00 (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) वसूली हेतु शेष थी।

18. अग्रिम :-

- अ. वित्तीय वर्ष 2009-2010 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु. 63505059.00 का अग्रिम समायोजन/ वसूली हेतु थी।
- ब. वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु. 30939799.00 समायोजन /वसूली हेतु शेष है।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों के विभिन्न वर्षों में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	समायोजन हेतु शेष राशि
1	जनपद पंचायत फरसगांव	2004-05 से 2009-10	278137.00
2	कृ.वि.केन्द्र अम्बिकापुर	2009-10	136490.00
3	नगर पंचायत चांपा	2008-09 से 2009-10	296280.00
4	जनपद पंचायत मुंगेली	2008-09 से 2009-10	200000.00
5	जनपद पंचायत तखतपुर	2008-09 से 2009-10	1068724.00
6	जनपद पंचायत मस्तुरी	2008-09	1090000.00
7	कृषि विपणन बोर्ड बिलासपुर	2008-09	119950.00

19. ऋण :-

- अ. वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु. 208043402.00 ऋण शेष थी।
- ब. वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रु. 115286708.00 ऋण शेष है।

20. अनुदान :-

वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन / विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि रु. 1874330198.00 अवशेष होना पाया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिनांक 01.04.10 से 31.12.2010) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रु. 3691905079.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. निक्षेप :-

वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रु. 118325716.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिनांक 01.04.10 से 31.12.2010) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रु. 44949577.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

भाग – दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये राशि रु. 119155 हजार आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक कुल राशि रु0 47696 हजार व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चात्तवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यों का समय-समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण की जाती है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षों की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशतः निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया

3. अंकेक्षण के दौरान कटौती :-

स्थानीय निकायों में आवासीय संपरीक्षा के समय देयकों में अनियमितताओं एवं त्रुटियों के फलस्वरूप अंकेक्षण द्वारा विभिन्न देयकों से राशि रु. 21847.00 का कटौती मान्य किये गये।

(डॉ. बी.एस. अनंत)
आयुक्त
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर (छ.ग.)